<u>बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर</u>

<u>अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना</u>

प्रश्न 1: इस कोचिंग योजना के लिए कौन-कौन से अल्पसंख्यक समुदाय पात्र हैं?

उत्तर: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय इस छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र हैं| अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं: मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी|

प्रश्न 2: नि:शुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: इस योजना के तहत चयनित कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/उम्मीदवार नि:शुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं|

प्रश्न 3: इस योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर: छात्र/छात्र के माता-पिता या अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 3.00 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए और उम्मीदवार ने वांछित पाठ्यक्रम/भर्ती परीक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हक परीक्षा में अपेक्षित प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों|

प्रश्न 4: नि:शुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण किन-किन पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान किया जाता है?

उत्तर: इस योजना के तहत चयनित कोचिंग संस्थानों द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यथा स्वीकृत निम्नलिखित के लिए नि:शुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है:-

क) तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे-अभियांत्रिकी, कानून, चिकित्सा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में प्रवेश के लिए अर्हक परीक्षा के लिए तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भाषा/अभिरूचि परीक्षाओं के लिए|

ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे, बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा स्वायत्त निकायों सहित केन्द्र और राज्य सरकारों में ग्रुप 'क', 'ख', और 'ग' की सेवाओं और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं|

ग) निजी क्षेत्र में नौकरियों जैसे एयर लाइन्स, शिपिंग, मत्स्य पालन, सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीओ, और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं, आतिथ्य, टूर एंड ट्रेवल्स, मेरीटाइम, खाद्य प्रसंस्करण, रिटेल, बिक्री और विपणन, बायो टेक्नोलोजी तथा रोजगार क्षेत्र में उभरते सम्मान के अनुसार अन्य रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण|

प्रश्न 5: इस योजना के तहत सामान्यत: अनुमोदित कोचिंग एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कौन-कौन से हैं?

उत्तर: योजना के तहत स्वीकृत कोचिंग एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं:-

i) व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे अभियांत्रिकी, चिकित्सा, बी0एड, कानून, एम0बीए, सीए, डीआईईटी आदि में दाखिले के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग|

ii) संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य अधीनस्थ सेवाओं, रेलवे आदि द्वारा ग्रुप 'क', 'ख', और 'ग' की सरकारी सेवाओं के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, जिनमें सिविल सर्विसेज और पी सी एस भी शामिल हैं|

iii) बैंक/एलआईसी/ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग|

iv) निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी/आईटीईएस, बीपीओ/विभिन्न कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों/सेल्स एवं रिटेल मेनेजमेंट, एकाउंटिंग आदि में प्रशिक्षण|

v) अन्य विदेश प्रशिक्षण, जिनसे सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना हो|

प्रश्न 6: योजना का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर: योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित द्वारा संचालित कोचिंग प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किया जाता है:-

i) कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यों से जुड़े विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त निकायों सहित सरकारी क्षेत्र के सभी संस्थान|

ii) मानद विश्वविद्यालयों सहित कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यों से जुड़े निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय/ कॉलेज|

iii) निजी क्षेत्र के संस्थान, जो निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए कोचिंग कार्यों/रोजगारोन्मुख कोचिंग/प्रशिक्षण कार्य से जुड़े हों तथा जो एक ट्रस्ट, कम्पनी पार्टनरशिप फर्म हों अथवा संगत कानून, अधिमानत: संगत औद्योगिक निकायों अथवा उनके द्वारा चिह्नित संस्थानों के कानून के अधीन पंजीकृत सोसायटी हों|

प्रश्न 7: कोचिंग शुल्क और वृत्तिका की दर क्या है?

उत्तर: कोचिंग शुल्क उस स्थान पर किसी विदेश कोचिंग कार्यक्रम के लिए प्रचलित दर को ध्यान में रखते हुए कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थानों को देय है, किन्तु उसकी अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी| स्थानीय और बाहरी अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिका की दर प्रत्येक कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम के सामने दी गई है:-

क्रम सं0	कोचिंग/प्रशिक्षण/नैदानिक कोचिंग की किस्म	प्रति उम्मीदवार कोचिंग/प्रशिक्षण शुल्क	प्रतिमाह वृत्तिका की राशि
1.	समूह 'क' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित , किन्तु 20,000 रु0 से अधिक नहीं|	बाहरी अभ्यार्थियों के लिए **3000/- रु0** और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए **1500/-रु0**
2.	समूह 'ख' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित , किन्तु 20000 रु0 से अधिक नहीं|	-तदैव-
3.	समूह 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित , किन्तु 15,000 रु0 से अधिक नहीं|	-तदैव-
4.	व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित , किन्तु 20,000 रु0 से अधिक नहीं|	-तदैव-

5.	निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित , किन्तु 20,000 रु0 से अधिक नहीं|	-तदैव-

प्रश्न 8: किसी कोचिंग कार्यक्रम की अधिकतम अवधि कितनी होती है?

उत्तर: किसी कोचिंग कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 4 माह की होती है|

प्रश्न 9: किसी कोचिंग कार्यक्रम विदेश के तहत कोई छात्र कितनी बार लाभ प्राप्त कर सकता है?

उत्तर: किसी छात्र विदेश द्वारा इस योजना के तहत कोचिंग/प्रशिक्षण का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है, भले ही वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में कितनी ही बार सम्मिलित होने का पात्र हो| कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान से यह अपेक्षित होगा कि वह छात्र से यह शपथ पत्र प्राप्त करें कि उसने इस योजना के तहत पहले लाभ नहीं लिया है| यदि कोई परीक्षा दो चरणों में अर्थात प्रारंभिक चरण में और मुख्य चरण में आयोजित होती है, तो अभ्यर्थियों को दोनों चरणों की परीक्षा के लिए कोचिंग प्राप्त करने की अनुमति होगी, किन्तु मुख्य परीक्षा के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को कोचिंग प्राप्त करने की अनुमति होगी, जिन्होंने उस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली हो|

प्रश्न 10. किसी छात्र को इसकी जानकारी कैसे होती है कि उसे कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुन लिया गया है अथवा नहीं?

उत्तर: कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किसी कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष के लिए चयनित छात्र का नाम उस कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है| छात्र को भी उस कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क बनाए रखना चाहिए, जहां उसने कोचिंग/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है|

प्रश्न 11. छात्रों/अभ्यर्थियों में वृत्तिका का संवितरण किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर: कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वृत्तिका की राशिको कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के लिए मासिक आधार पर स्थानीय और बाहरी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित दर से छात्रों के खातों में जमा कराया जाता है|

****